



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

No. 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2003/श्रावण 10, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2003/SRAVANA 10, 1925

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 621(अ).—अधिसूचना सा. का. नि. 475 (अ), दिनांक 11-6-2003 (फा. सं. V/59/2002-एन सी-II) में उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 107 के सामने पदार्थ का रासायनिक नाम गलती से 4-एम टी ए (मिथाइल-4-मिथाइलथियोफेनीथाइलामाइन) मुद्रित कर दिया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

“4-एम टी ए (α मिथाइल-4-मिथाइलथियोफेनीथाइलामाइन)।”

यह अधिसूचना ऊपर उल्लिखित पूर्व अधिसूचना सा. का. नि. 475 (अ) दिनांक 11-6-2003 के क्रम में जारी की गई है।

[फा. सं. V-59/2002-एनसी-II]

श्यामला मोहन, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिनियम, 1985 का 61 की अनुसूची को का. आ. 785 (अ) दिनांक 26-10-1992, सं. का. आ. 49 (अ), दिनांक 8-1-1993 और सं. का. आ. 39 (अ) दिनांक 12-1-96 और सा. का. नि. 475(अ) दिनांक 11-6-2003 द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st August, 2003.

G. S. R. 621(E).—In notification G.S.R. 475(E) dated 11-6-2003 (F. No. V/59/2002-NC-II) Chemical name of the substance against Sl. No. 107 in the said Notification has been inadvertently printed as 4-MTA(Methyl-4-Methyl thiophenethylamine). The same may be read as:

“4-MTA (α Methyl-4-Methylthiophenethylamine)”.

This Notification issued in continuation of the earlier Notification G.S.R. 475(E) dated 11-6-2003 referred to above.

[F. No. V-59/2002-NC-II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Foot note.—The Schedule of the Principal Act 61 of 1985 has been amended, by S.O. 785 (E) dated 26-10-1992, No. S.O. 49(E) dated 8-1-1993 and No. S.O. 39(E) dated 12-1-96 and G.S.R. 475 (E) dated 11-6-2003.